



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

Phone & Fax no. 0135-2431159

उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्पलाईन न०-1800890915(टोल फ्री)

E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं०: 2606 / 12-1

मुनिकीरेती,

दिनांक 02 / 05 / 2025

सेवा में,

✓ प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्वालीसीढ़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं- 08बी/यूएसी0पी/06/35/2021/एफएसी0/05, दिनांक 01.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार के द्वारा किंचित बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अपने पत्रांक-3773/12-1, दिनांक 17.05.2025 से प्रस्ताव में जारी कमियों के निराकरणोपरान्त, बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

29/05/25

पत्रांक:- 2606 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

29/05/25



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashid@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 3773 / 12-1, कोटबंगला, दिनांक 17/05/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

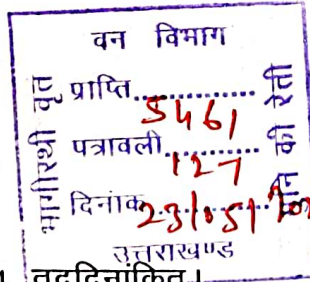
सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक- 8बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी./05, दिनांक- 01.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्र- 567/3एल0ए0, दिनांक- 01.05.2025 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या निम्नानुसार अग्रसारित की जा रही है-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The State Government shall ensure that there shall be no encroachment in nearby land in near future. An undertaking in this regard shall also be submitted.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-1)
2	The State Government shall incorporate the plantation of at least 50 % Oak species in CA scheme along. Accordingly, revised CA scheme shall be submitted	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
3	The State Government shall ensure that the purpose of land use shall not be changed. An undertaking in this regard shall also be submitted	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
4	The user agency shall submit an undertaking that they along with the villagers shall cooperate the Forest Department in protection against Forest Fire	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-4)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



पत्रांक- 3773 / 12-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten signature and date 23/05/25]

भवदीय,
(डी०पी० बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

(डी०पी० बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, एवं भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा।

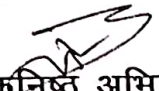

कजिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

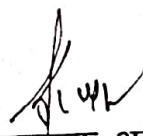

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 50 प्रतिशत बांज प्रजाति के वृक्षारोपण को सी.ए. योजना में शामिल किया जायेगा। तथा संशोधित सी.ए. योजना में प्रस्तुत करेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

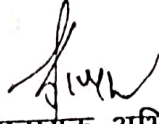

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट/भूमि की उपयोगिता प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नहीं बदला जायेगी।



कशिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



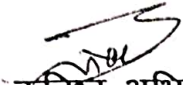
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

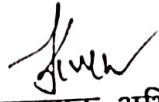


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ग्रामीणों के साथ मिलकर वन विभाग को वनों की आग से सुरक्षा में सहयोग करेंगे।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रारूप- 42 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना)

परियोजना का नाम :- जगपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्मालीसोड के बनगांव घापडा-करालाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.152 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑन लाईन प्रस्ताव सं०-(F/P/UK/ROAD/21335/2016)

प्रभाग का नाम :- उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

प्रस्ताव का क्षेत्रफल-7.152 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम :-ग्राम-बडेश, खसारा सं०-775, 1770, 98, 4243 कुल रकबा 4.237 हे०, ग्राम- जेमर खसारा सं०-1 रकबा-1.128 हे०, ग्राम मैनाल खसारा सं०-1089 रकबा- 1.469 हे० कुल रकबा 6.834 हे० उत्तराखण्ड सरकार चर्ग 9(3)इ यंजर भूमि

क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का क्षेत्रफल-6.834 हे०

प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	सूक्ष्म व सीमांकन करना।	1	ha	741.00	741.00
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना (जड़ सहित उखाड़ना एवं नष्ट करना।	1	ha	8138.00	8138.00
3	दीवाल बन्दी कार्य करना। $150 \times (0.60 + 0.45/2) \times 1.20 = 94.50 \text{ m}^3$	1	ha	83662.00	83662.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु चाल खालों की निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य।	1	ha	14949.10	14949.10
5	गड्ढे खुदान करना (0.30x0.30x0.45)	1100	No.	16.90	18590.00
6	निरीक्षण बटिया	1	ha	1639.20	1639.20
7	पौधों की कीमत, 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	1100	No.	23.30	25630.00
8	पौधों की सिंचाई हेतु टैंक का निर्माण	1	N	64000.00	64000.00
9	गड्ढों का संरक्षण एवं चिन्हीकरण (घूने की कीमत सहित)	1100	No.	0.91	1001.00
10	कन्दूर फरों का संरक्षण एवं चिन्हीकरण (घूने की कीमत सहित)	50	No.	1.78	89.00
11	कन्दूर फरों का खुदान (अधिकतम 300 रनिंग मी० प्रति हे०)*(3m*45cm*30cm)	50	No.	171.59	8579.50
12	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरवाड़ कार्य (तीन बल्य प्रति मीटर) (1 हे० में 150 रनिंग मीटर)	450	No.	14.07	6329.25
13	अन्य आकारिक कार्य।	1	ha	1497.60	1497.60
	योग				234845.65

द्वितीय चरण

1	गद्दा भरण (0.30x0.30x0.45)	1100	No.	3.06	3366.00
2	पौधों की कीमत, पौध दुलान मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उत्तराई सहित	1100	No.	17.78	19558.00
3	पौध रोपण।	1100	No.	5.75	6325.00
4	फरो में बीज बोना/ कटिंग लगाना (बीज एकत्रीकरण तथा कटिंग दुलान सहित)	50	No.	13	650.00
5	कन्दूर फरो में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सेमी0 उपर उठाकर भरण कर दबाना तथा जमाना	50	No.	13	650.00
6	निराई गुड़ाई प्रथम व द्वितीय बार।	1100	No.	14.06	15466.00
7	रासायनिक खाद।	1100	No.	2.02	2222.00
8	वनीकरण क्षेत्रों में रोपित पौधों की सिंचाई	1100	No.	1.73	1903.00
9	निकटवर्ती जल स्रोत (अधिकतम 02 किमी0 की परिधि में) से वनीकरण की सिंचाई एवं टैंक भरने हेतु पीपीसी पाईप के माध्यम से पानी की व्यवस्था	1000	mtr	100	100000.00
10	रख-रखाव रोपण वर्ष में 09 माह 01 श्रमिक कम से कम 10 हे0 क्षेत्र को आधार मानकर	1	ha	1285.5	11569.50
11	अन्य आकस्मिक व्यय।	1	ha	4000	4000.00
12	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाया	1	ha	643.46	643.46
13	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.57	379.57
योग					166732.53

तृतीय चरण

1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी।	1100	No	2.28	2508.00
3	पौध की कीमत	110	No	30.1	3311.00
4	पौध का दुलान	110	No	17.78	1955.80
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
6	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
योग					24223.86

चतुर्थ चरण

1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
3	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी।	1100	ha	2.28	2508.00
योग					18957.06

पंचम चरण

1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
योग					16449.06

षष्ठम चरण

1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				16449.06

सप्तम चरण

1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				16449.06

अष्टम चरण

1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				16449.06

नवम चरण

1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				16449.06

दसम चरण

1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				16449.06

प्रति हे0 कुल योग

543453.46

या

543037.00

या प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-क-1191/3-5-2(एफ0सी0), दिनांक 26-03-2025 में दी गयी सिंलिंग के अनुसार।

543037.00

कुल क्षेत्रफल

6.834

दर प्रति हे0

543037.00

कुल धनराशि

3711114.858

Or Say

3711114.86

Checked for Rs. 3711114.86/-

Draftsman

**Uttarkashi Forest Division
Uttarkashi**

वन क्षेत्राधिकारी
बरासू वनराजि

**प्रभागीय क्षेत्राधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी**